तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8-2.21	[illegible] हड़ताल [illegible] दिन [illegible] की [illegible] 10.3.21 को पेश हो [signature]	
10/3/21	वकील अपीलान्ट उप०। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना उप० नहीं। इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दि० 17/3/21 को पेश हो। [signature]	
17/3/21	आज यह पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी बाहर तशरीफ रखते हैं। [illegible] कार्य स्थगित कर दिया है अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक ...को पेश हो। [initials] 19/3/21	
19/3/21	वकील अपीलांट उप०। एक पक्षीय बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 22/3/21 को पेश हो। [signature]	
22/3/21	वकील अपीलांट उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील अंतर्गत धारा 75 LR Act इस आशय कि पेश की है कि अपील में वर्णित आराजी बाके ग्राम धीमरी तह० पहाडी में स्थित है। ग्राम पंचायत कढ़ोल ने जो इन्तकाल सं० 1071 अपीलान्ट के पिता सुल्हड की विरासत का जो दाखिल खारिज दर्ज कर स्वीकार किया है। इसमें सुल्हड के	

उत्तराखण्ड ... (उप जिला...)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वारिसान के सही नाम की जाँच पड़ताल किये बिना ही मुस्त अपीलाण्ट के सही नाम जमशेद की बजाय गलत नाम रमजान गलत दर्ज कर दाखिल खारिज स्वीकार कर दिया। जबकि अपीलाण्ट के पहचान के दस्तावेजों में सही नाम जमशेद दर्ज हैं। उक्त गलत नाम के इन्द्राज का इल्म अपीलाण्ट को रिकॉर्ड लेन पर दिनांक 23/02/2021 को हुआ कि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाण्ट के सही नाम जमशेद पुत्र सुल्हड के स्थान पर गलत नाम रमजान पुत्र सुलवा दर्ज चला आ रहा हैं। जिससे अपीलाण्ट को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा हैं। निवेदन हैं कि दाखिल खारिज 107। दिनांक 01.07.1989 आदेश ग्राम पंचायत कढोल को निरस्त कर रिकॉर्ड में दर्ज अपीलाण्ट के गलत नाम रमजान पुत्र सुलबा के स्थान पर जमशेद पुत्र सुल्हड दर्ज किया जावे। बकील अपीलाण्ट बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ सलंग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, में अपीलाण्ट का नाम जमशेद पुत्र सुल्हड दर्ज हैं जबकि नामान्तरण सं० 107। में रमजान पुत्र सुल्हड दर्ज हैं। अपीलाण्ट ने इसके अलावा कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया हैं। ग्राम पंचायत कढोल ने भी विरासत के नाम दर्ज करते समय कोई जाँच नहीं की हैं। अतः नामांतरण सं० 107। दिनांक 01.07.1989 खारिज योग्य हैं। नामांतरण सं० 107। खारिज किया जाता हैं। पत्रावली तहसीलदार पहाड़ी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती हैं कि वो उभयपक्ष कारान को सुनकर एवं अपीलाण्ट के सही नाम की जाँच कर पुनः गुण वा गुण के आधार पर विरासतु का नामान्तरण दर्ज करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।